न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
082/2019 (RCMS 2019/00058)	08.05.2019	12.07.2019

अनवान

1. बालु पिता हजारी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नगरी तहसील व जिला चित्तौडगढ।
2. लालु पिता हजारी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नगरी तहसील व जिला चित्तौडगढ।
3. श्रीमती प्रताबीबाई पुत्री हजारी पत्नि खुमाण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गौराजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौडगढ।

वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता नाथु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नगरी तहसील व जिला चित्तौडगढ।
2. श्रीमती नन्दुबाई पत्नि बख्ता जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ।
3. डालु पिता नाथुजी जाति गाडरी मृतक के स्थान पर :–
   - 3/1 गुणेश पिता डालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लक्ष्मणीसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
   - 3/2 कैलाश पिता डालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लक्ष्मणीसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
   - 3/3 मांगीबाई पिता डालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लक्ष्मणीसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
   - 3/4 रूकमणी डालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लक्ष्मणीसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. श्रीमती अणछी गिरी पत्नि कैलाश गिरी गोस्वामी आयु वयस्क निवासी नगरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. श्री सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट	वादीगण
	अधिवक्ता श्री दिनेश दायमा	प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4
	अधिवक्ता श्री सुनील सुखवाल	प्रतिवादी संख्या 3
	पैरोकार सरकार	प्रतिवादी संख्या 5 व 6

–:: वादपत्र घोषणात्मक डिक्री, बंटवाडा, स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने खिलाफ प्रतिवादीगण के वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पिता व पति स्वर्गीय बख्ता सगे भाई होकर स्वर्गीय नाथु जी के वैध वारिसान है, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का पारिवारिक सजरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुताबिक वादपत्र अंकितानुसार है। नाथू के मौजा नगरी एवं मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार में अन्य प्रतिवादीगण के साथ 1/4 हक व हिस्सा निहित रहा जो नाथु जी की मृत्यु के पश्चात जरिये विरासतीय नामान्तकरण के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के पति व पिता बख्ता के नाम पर दर्ज की गई की गई व बख्ता का स्वर्गवास हो जाने से बख्ता का विरासतीय नामान्तरकरण संख्या 2190 मौजा नगरी व मौजा लक्ष्मणसिंह जी का खेडा के नामान्तकरण संख्या 2190 मौजा नगरी व मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा के नामान्तरकरण संख्या 24 स्वीकृत किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज रेकार्ड किया गया। मौजा नगरी की आराजीयात आराजी संख्या 112 रकबा 1.22 हैक्टर, आराजी संख्या 113 रकबा 0.15 हैक्टर, आराजी संख्या 116 रकबा 0.06 हैक्टर, आराजी संख्या 117 रकबा 0.50 हैक्टर, आराजी संख्या 120 रकबा 0.04 हैक्टर, आराजी संख्या 122 रकबा 0.07 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 2.04 हैक्टर एवं आराजी संख्या 115 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.06 हैक्टर एवं मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार की आराजीयात आराजी संख्या 35 रकबा 0.06 हैक्टर, आराजी संख्या 36 रकबा 0.05 हैक्टर, आराजी संख्या 37 रकबा 0.15 हैक्टर, आराजी संख्या 38 रकबा 0.13 हैक्टर, आराजी संख्या 39 रकबा 0.62 हैक्टर, आराजी संख्या 40 रकबा 0.57 हैक्टर आराजी संख्या 41 रकबा 0.86 हैक्टर, आराजी संख्या 50 रकबा 0.11 हैक्टर, आराजी संख्या 51 रकबा 0.02 हैक्टर, आराजी संख्या 52 रकबा 0.06 हैक्टर, आराजी संख्या 53/93 रकबा 0.13 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 2.76 हैक्टर है। उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण का 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 2 के ससुर स्वर्गीय नाथु जी गाडरी के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड रही जो विरासत से वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 2 के पति बख्ता के नाम पर दर्ज रेकार्ड की गई व बख्ता की मृत्यु हो जाने से प्रतिवहादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज की गई, तत्पश्चात् वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पति बख्ता ने दोनो ही गांवों की आराजीयात का बाहमी तौर पर बंटवाडा कर लिया व बंटवाडे के तहत दोनो गांवों की आराजीयात को सम्मिलित करते हुए वादीगण का जो भी हक व हिस्सा बनता था वह सम्पूर्ण हक व हिस्सा मौजा नगरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की आराजीयात में देते हुए शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने रखा व मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा में स्वर्गीय हजारी जी का 1/4 हक व हिस्सा निहित था वह सम्पूर्ण हक व हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 3 के पिता नाथु व प्रतिवादी संख्या 2 के पति बख्ता के हक व हिस्से में रखते हुए बाहमी बंटवाडा कर दिया व उसी अनुसार काफी लम्बे समय से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने हक व हिस्से अनुसार वादीगण मौजा नगरी

की आराजीयात एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मौजा नगरी लक्ष्मणसिंहजी का खेडा की आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने बदनियती पूर्वक वादीगण को अपने हक व अधिकारों से वंचित करने की नियत से जरिये तथाकथित बहनामा मौजा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजीयात में अपना 2/4 हक व हिस्सा मानते हुऐ सम्पूर्ण हक व हिस्सा जरिये तथाकथित बहनामा दिनांक 15.03.2019 को प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दिया। उक्त तथाकथित बहनामा वादीगण के हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी होकर दोनो की गांवों की आराजीयात को सम्मिलित करते हुए वादीगण मौजा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजीयात को घोषणा कराये जाने का अधिकारी होने से वादपत्र वादीगण घोषणात्मक डिक्री पेश है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि आराजीयात होकर वादीगण बाहमी बंटवाडे अनुसार अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा मौजा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे वादीगण उसी अनुसार अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा मौजा नगरी तहसील व जिला चित्तौडगढ की आराजीयात में घोषित करा मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार की आराजीयात में अपना नाम हटवाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के नाम घोषित करवाये जाने का अधिकारी होने से वादपत्र वादीगण घोषणात्मक डिक्री व बंटवाडा आराजीयात पेश है। वादीगण बाहमी बंटवाडे के तौर पर मौजा नगरी की आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चले आ रहे है व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 भी बाहमी बंटवाडे से मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार की आराजीयात में अपना नाम हटवाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम पर घोषित करवाये जाने का अधिकारी होने से वादपत्र वादीगण घोषणात्मक डिक्री व बंटवाडा आराजीयात पेश है। वादीगण बाहमी बंटवाडे के तौर पर मौजा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चले आ रहे है व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 भी बाहमी बंटवाडे से मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा की आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने राजस्व रेकार्ड में मौजा नगरी की आराजीयात में अपना नाम दर्ज रह जाने का नाजायज फायदा उठाते हुए अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा जरिये तथाकथित बहनामें से प्रतिवादी संख्या 4 को बिना कब्जे के हस्तान्तरित कर दिया जिससे प्रतिवादी संख्या 4 को बिना कब्जे के हस्तान्तरित कर दिया जिससे प्रतिवादी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 6 के सहयोग से अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने पर आमादा है व राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करा उक्त आराजियात पर जबरन कब्जा करना चाहता है जिससे प्रतिवादी संख्या 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराया जाना आवश्यक हो जाने से वादपत्र वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा पेश है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान मौजा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ एवं मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार में अवस्थित है जिससे वादपत्र वादीगण श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आप को प्राप्त होने से वाद पत्र वादीगण श्रीमान् के न्यायालय में पेश है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादपत्र पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें। पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 352, 353 में दर्ज आराजीयात वादीगण का सम्पूर्ण हक व हिस्सा घोषित किया जावें एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का नाम विलोपित किये जाने की घोषणा कराई जावें। मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा की आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम सम्पूर्ण हक व हिस्सा घोषित किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 353, 353 में दर्ज आराजीयात में वादीगण का सम्पूर्ण हक व हिस्सा घोषित किये जाने की प्राथमिक डिक्री पारित फरमाई जावे व उसी अनुसार फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर अंतिम निण्रय एवं डिक्री पारित फरमाई जावें। पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा नगरी की खाता संख्या 353, 353 में दर्ज आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमाया जावें कि वह विवादित आराजीयात को रहन बह बक्षीस नहीं करे एवं न ही किसी अन्य से करावें एवं न ही विवादित आराजीयात से वादी को बेदखल ही करे न ही किसी अन्य से करावें।

इस वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.05.2019 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 की ओर से उनके अधिवक्ता दिनेश दायमा हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 के विधिक वारीसान की ओर से उनके अधिवक्ता सुनील सुखवाल हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 21.06.2019 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में वाद वर्णित तथ्यों से इनकार किया एवं बताया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक सजरा सही होकर स्वीकार है। मौजा नगरी के खाता संख्या 352 पर अंकित कृषि भूमि किता 6 रकबा कुलिया 2.04 हैक्टर एवं खाता संख्या 353 पर अंकित कृषि भूमि आराजी संख्या 115 रकबा 0.06 हैक्टर आ0चा0 सिंचाई का स्त्रोत होकर नाथुजी के वारिसान के नाम पर हिस्सानुसार दर्ज है। ग्राम लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार में दर्ज कृषि भूमि खाता संख्या 6 पर अंकित आराजी संख्या 35 से लगायत 41

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं 50 से लगायत 53/93 किता 11 रकबा 2.76 हैक्टर भूमि अवस्थित होना राजस्व रेकार्ड के अनुरूप होने से सही होकर स्वीकार है। उक्त कृषि भूमि वर्तमान में स्वर्गीय नाथुजी के चारो पुत्रों अथवा उनके वारिसान के 1/4 हक से दर्ज रेकार्ड थी। वर्तमान में उक्त वर्णित कृषि भूमि विक्रय पत्र निष्पादन एवं पंजीयन दिनांक 15.03.2019 से विक्रेता लक्ष्मण पिता नाथु गाडरी एवं नन्दू पत्नि स्वर्गीय बगता का संयुक्त रूप से दर्ज 1/2 हिस्सा क्रेता प्रतिवादी संख्या 4 अणदीगिरी पत्नि कैलाश गिरी गोस्वामी के खातेदार में नामान्तरकरण संख्या 2194 दिनांक 20.04.2019 से दर्ज रेकार्ड होकर प्रतिवादी संख्या 4 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3/1 से लगायत 3/4 के साथ संयुक्त खातेदार दर्ज रेकार्ड है। जिससे वर्तमान जमाबंदी रेवेन्यु रेकार्ड में 'अ' व 'ब' वाली कृषि भूमि 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/4 का हिस्सा 1/4 हक हिस्सा दर्ज है। वादीगण द्वारा चाहहा गया घोषणात्मक अनुतोष का आधार भूमि का खातेदारान द्वारा भूमि का विनियम एवं समेकन के लिए भूमि का विनिमय धारा 48, 49 राज0काश्त0अधिनियम पर आधारित है धारा 48, 49 की परिपूर्णता के खातेदार एक ही वग्र के अभिधारी होना आवश्यक है धारा 14 राज0काश्त0अधिनियम के अनुसार सभी भूमि धारकों की लिखित सहमति होना आवश्यक है। मौजूदा प्रकरण में दोनो शर्तों की पालना नहीं हो रही है परिशिष्ठि (स) वाली कृषि भूमि में ग्रामदान अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा खातेदार हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3/1 से 3/4 तक मात्र कृषक दर्ज हैं। खातेदार नहीं हैं इसी तरत सभी भूमिधारकों की लिखित सहमति नहीं हैं। बहामी का कथन वादीगण ने इस चरण में स्वयं ने किया हैं। इसी तरह व्यवहारिक रूप से भी वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि कुलिया रकबा का योग 4.860 हैक्टर बनता हैं इसमें वादीगण का 1/4 हक से हिस्सा रकबा 1. 215 हैक्टर बनता है। जबकि नगरी की कृषि भूमि वादीगण बहामी बंटवाडे में आना मानते है तो भी नगरी वाली भूमि का रकबा कुलिया 2.10 हैक्टर बनता है उसमें से 1.215 हैक्टर वादीगण के हिस्से में आना मान भी लिया जावें तो शेष नगरी वाली जमीन का रकबा 0.885 हैक्टर भूमि नन्दू लक्ष्मण एवं डालु के वारिसान का शेष रहता है। इसी तरह लक्ष्मणसिंहजी का खेडा वाली भूमि कुलिया रकबा 2.76 हैक्टर ही है जबकि लक्ष्मण नन्दू एवं डालु के वारिसान का कुलिया हिस्सा 3.645 हैक्टर बनता है जबकि लक्ष्मणसिंहजी का खेडा की भूमि का कुलिया रकबा 2.76 हैक्टर ही है। इसलिए वादीगण द्वारा अभिकथित बहामी बंटवाडा वैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से संभव ही नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने बदनियती पूर्वक मौजा नगरी में स्थित कृषि भूमि का बहनामा दिनांक 15.03.2019 को प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में कराया है वह वादीगण के हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी है। विक्रय पत्र दिनांक 15.03.2019 से वादीगण का टाईटल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एण्ड राईट किस प्रकार से किस हद तक प्रभावित होता है का विवेचन किये बिना ही पंजीकृत दस्तावेज को शून्य एवं निष्प्रभावी होना मान लिया जबकि रजिस्टर्ड दस्तावेज को शून्य निष्प्रभावी निरस्तगी आदि करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को होने से वादपत्र वादीगण आधारहीन अवैधानिक गलत अभिवचनों पर आधारित होने से निरस्त किया जावें। वादपत्र के पक्षकारान सह खातेदारान के मध्य कभी भी बहामी बंटवाडा हुआ ही नही था। चारो ही वारिसान नाथुजी वादग्रसत भूमि पर अपने अपने निहित 1/4 हिस्से पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कब्जा काश्त नगरी वाली कृषि भूमि पर 1/2 हक से चला आ रहा था इसी तरह वादीगण का कब्जा काश्त शिवसिंहजी का खेडा में स्थित कृषि भूमि में चला आ रहा है। इसलिए बिना लिखित सहमति के कृषि भूमि का खातेदारान के मध्य विनियम सम्भव ही नहीं होने से वादपत्र निरस्त किया जाने की डिक्री पारित की जावें। वादपत्र के खातेदारान वारिस नाथुजी गाडरी के मध्य न तो कभी बहामी बंटवाडा और न ही विधिक बंटवाडा हुआ है। वादीगण ने उक्त अभिवचनों की प्रमाणिकता स्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी नहीं है। जिससे वादीगण द्वारा अभिकथित तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है। वादीगण द्वारा इस चरण में अंकित यह तथ्य भी गलत है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा बिना कब्जा के ही राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज रह जाने मात्र से विक्रयपत्र निष्पादित कराया है वर्तमान में मौजा नगरी वाली कृषि भूमि पर दिनांक 15.03.2019 से प्रतिवादी संख्या 4 का भौतिक रूप से 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है। वादीगण खातेदार कब्जेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा सव्यय खारीज किया जावें। वादीगण को दिनांक 15.03.2019 को वाद कारण उत्पन्न होने का कोई कारण अंकित नहीं होने से बिनाया दावा के अभाव में वादपत्र वादीगण खारीज फरमाया जावें। वादपत्र के परिशिष्ठि स में अंकित कृषि भूमि ग्रामदानी ग्राम लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार की है। राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 46(1) के अनुसार ग्रामदानी ग्राम की परिसीमा में अवस्थित कृषि भूमि बाबत् किसी भी अनुतोष का वादपत्र सिविल अथवा राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं होकर वादपत्र निरस्तनीय है। ग्राम लक्ष्मणसिंहजी का खेडा की जमाबंदी के कॉलम संख्या 3 में अंकित खातेदार ग्राम सभा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1, 2, 3/1 से 3/4 कृषक है खातेदार ग्रामसभा को वादपत्र में पक्षकार संयोजित नहीं करने से वादपत्र मेंटेनेबल नहीं होकर निरस्तनीय है। वादीगण को बिनाया वादपत्र दिनांक 15.03.2019 को ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादन व पंजीयन कराने से वादीगण के हित कैसे प्रभावित हुए बिनाया दावे के उत्पत्ति का स्पष्ट विवेचन नहीं होने से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Cause of action के अभाव में वादपत्र निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि जवाबदावा एवं विशेष कथन की कलम संख्या 1 में उल्लेखित कारणों के आधारा पर वादीगण का वादपत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने दिनांक 24.06.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने वादपत्र बाबत् ग्राम नगरी एवं लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार बाबत् खातेदार घोषणा एवं बंटवाडा के अनुतोष चाहने हेतु प्रस्तुत किया जिससे मुख्य रूप से अभिवचन यह अंकित किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1, 2 व 3/1 से 3/4 तक एक ही मूल पुरूष नाथुजी गाडरी के वारीस है जिनकी पैतृक सम्पत्ति ग्राम नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ एवं ग्रामदानी ग्राम लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार में अवस्थित है। ग्रामदानी ग्राम लक्ष्मणसिंहजी का खेडा में स्थित कृषि भूमि बाबत् वादपत्र राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 46(1) के अनुसार ग्रामदानी ग्राम में स्थित भूमि बाबत् वादपत्र का श्रवणाधिकार सिविल व राजस्व न्यायालय को नहीं है इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायालय आपके श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का इस न्यायालय को नहीं होकर **Bard by jurisdication** श्रेणी में आने से वादपत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम सीपीसी निरस्तनीय हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का आधार **Exchange of Tenancie Land for consolidation** हैं, जिसकी प्रथम एवं आज्ञापक शर्त ही यह है कि खातेदारान के मध्य लिखित सहमति होना आवश्यक हैं जैसा कि धारा 48 एवं 49 आरटीए में अंकित किया है। मौजूदा वादपत्र में वादग्रस्त कृषिभूमि के खातेदारन के मध्य लिखित सहमति का अभावा हैं इसलिए **(Mandaitory Provisions)** आज्ञापक प्रावधानों के अभाव में वादपत्र **Bard by Law** की श्रेणी में आने से **Order 7 Rule 11 CPC** के तहत निरस्तनीय है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी(प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4) की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को आवेदन पत्र में अंकित कारणों के आधार पर **Order 7 Rule 11 CPC** के तहत सव्यय खारीज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। इस अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र **Order 7 Rule 11 CPC** का जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र मौजा नगरी एवं मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार का प्रस्तुत किये जाने का तथ्य स्वीकार है बकाया तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी सम्पूर्ण आराजीयात का पक्षकारान ने आपसी तौर पर बंटवाडा कर रखा है और उसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात जो मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार में अवस्थित हैं। उक्त आराजीयात कृषि भूमि है कृषि भूमि से सबंधित आराजीयात का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादपत्र राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है और उन्हीं अधिकारों के तहतह वादीगण ने श्रीमान के न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया है जो न्यायालय आप के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो किसी भी स्थिति में बाड बाई ज्यूडिकेशन नहीं हो सकता हैं। खातेदारान को अपने सह खातेदारी की आराजीयात का अपनी इच्छा के अनुसार विभाजन करने का अधिकार है व उन्हीं अधिकारों के तहत विभाजन का वादपत्र प्रस्तुत किया गया हैं जो आदेश 7 नियम 1 जा0दी0 के तहत निरस्ती योग्य नहीं हैं अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमायें जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

पत्रावली में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का रिकार्ड पर होने से सर्वप्रथम इस प्रार्थना पत्र का निर्णय किये के आज्ञापक प्रावधान है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध वादपत्र एवं जवाबदावा जो कि रिकार्ड पर है की अग्रिम कार्यवाही को रिजर्व रखते हुए सर्व प्रथम प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 में निर्णय की कार्यवाही की जाती है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपनी बहस प्रार्थना पत्र में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (वादपत्र के प्रतिवादीगण) ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि उक्त विवादित आराजीयात मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार में स्थित है जो कि ग्रामदान अधिनियम, 1971 का ग्राम हैं एवं उक्त आराजीयात की खातेदार ग्रामसभा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा है, एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण उक्त विवादित आराजीयात के कृषक दर्ज अभिलिखित हैं ऐसी स्थिति में ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 46(1) के अनुसार ग्रामदानी ग्राम में स्थित भूमि बाबत् श्रवणाधिकार सिविल व राजस्व न्यायालय को नहीं हैं। इस संबंध में ग्रामदान अधिनियम, 1971 के अध्याय 7 में धारा 46 अधिकारिता का वर्जन के नियम :– ''(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपाबन्धित के सिवाय किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय की ऐसे किसी मामले के बारे में अधिकारिता नहीं होगी जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना विनिश्चित किया जाना या जिस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। (2) इस अधिनियम के अधीन उक्त किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी भी आदेश को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं बनाया जायगा। '' इसके साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादीगण) ने न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (13)2006 पेज संख्या 726 प्रस्तुत किया जो कि शामिल पत्रावली है। इसके साथ में अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादीगण) ने उक्त वादपत्र को **Bard by Law** होने से निरस्त किये जाने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की। जवाब बहस प्रार्थना में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी(वादीगण) ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से इंकार किया एवं जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विवादित आराजीयात मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार की है एवं कृषि भूमि से संबंधित आराजीयात का वादपत्र राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है और उन्हीं अधिकारों के तहत वादीगण ने श्रीमान् के न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया है जो किसी भी स्थिति में **Bard by Law** नहीं हो सकता है, इससे प्रार्थी(प्रतिवादीगण) का प्रार्थना पत्र मय हर्जे-खर्चे के खारीज योग्य है। इसी की साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी(वादीगण) ने प्रार्थी(प्रतिवादीगण) के प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की ईश्तदुआ के साथ अपनी बहस समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादीगण) ने अधिवक्ता अप्रार्थी(वादीगण) की बहस का जवाब देते हुए बताया कि वादीगण द्वारा वादपत्र मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार एवं मौजा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजीयात बाबत् संयुक्त वादपत्र प्रस्तुत किया है। मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार में स्थित है एवं मौजा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उक्त दोनो ग्राम अलग-अलग तहसील में स्थित है ऐसी स्थिति में वादपत्र में विभिन्न अलग-अलग तहसील जिनके क्षेत्राधिकार अलग-अलग राजस्व न्यायालय को है ऐसी स्थिति में वादपत्र में अलग-अलग न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता होने के कारण वादपत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 जा0दी0 का पेश किया जाकर वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जाना भी आवश्यक है एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अन्तर्गत धारा 17 के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र भी रिकार्ड पर नहीं है ऐसी स्थिति में तकनीकि बिन्दु के आधार पर भी वादपत्र इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। इसके साथ ही विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादीगण) ने अपनी बहस समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (13)2006 पेज संख्या 726 का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया है कि **"In this case, disputed land is Gramdani. As per provisions of section 46 of the Gram Dan Act any order passed under this Act cannot be called in qurstion in any court. Therefore, suit filed about Gramdani land is barred by law and suit is not maintainable."** उक्त वादपत्र में वर्णित आराजीयात मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार की है एवं उक्त आराजीयात की खातेदार ग्रामसभा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा है जिसकी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ताईद मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा पटवार हल्का बौलों का सांवता तहसील गंगरार की जमाबंदी आधार वर्ष 2070 खाता संख्या 6 से होती है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति उक्त विवादित आराजीयात ग्रामदानी ग्राम की होना जाहिर आता है ऐसी स्थिति ग्रामदान अधिनियम, 1971 की धारा 46(1) से इस न्यायालय की अधिकारिता में नहीं है एवं अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (13)2006 पेज संख्या 726 इस वादपत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। एवं अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादीगण) द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 जा0दी0 के संबंध में अधिवक्ता वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार से स्पष्टीकरण एवं युक्तियुक्त कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। एवं ना ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 जा0दी0 का पत्रावली पर उपलब्ध है ऐसी स्थिति में विभिन्न अलग-अलग न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के संबंध में विधि के उपाबंधों के अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 जा0दी0 का आवश्यक है। चूंकि वादीगण द्वारा मौजा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ एवं मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार की आराजीयात के संबंध में घोषणा बाबत् समग्र वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादीगण की मुख्य दाद हक अधिकारों की घोषणा के संबंध में है तथा घोषणा की दाद ग्रामदानी ग्राम के संबंध में है जिसके संबंध में निर्णय किये जाने की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण की घोषणा की दाद मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा एवं मौजा नगरी के संबंध में है जिसमें से ग्राम लक्ष्मणसिंहजी का खेडा जो कि ग्रामदानी ग्राम है के संबंध में इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है एवं **Bard by Law** ऐसी स्थिति में वादीगण के घोषणा की दाद बाबत् मौजा लक्ष्मणसिंहजी का खेडा की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है जिससे वादीगण का समग्र(कंपोजिट) वादपत्र इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाया जाता है, वादीगण का मौजा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ के संबंध में किसी प्रकार के हक अधिकार निहीत हो तो वादीगण केवल मौजा नगरी तहसील चित्तौड़गढ़ हेतु नवीन वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, इस हेतु वादीगण को इसी न्यायालय में नवीन वादपत्र बाबत् खातेदारी घोषणा की

अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 दिनांक 21.06.2019 को स्वीकार किया जाता है। जिसके फलस्वरूप यह वादपत्र इस न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होता पाया जाता है, जिससे यह वादीगण का वादपत्र न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने से नामंजूर किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **12.07.2019** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

1. बालु पिता हजारी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नगरी तहसील व जिला चित्तौडगढ।
2. लालु पिता हजारी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नगरी तहसील व जिला चित्तौडगढ।
3. श्रीमती प्रताबीबाई पुत्री हजारी पत्नि खुमाण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी गौराजी का खेडा तहसील व जिला चित्तौडगढ।

वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पिता नाथु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी नगरी तहसील व जिला चित्तौडगढ।
2. श्रीमती नन्दुबाई पत्नि बख्ता जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लक्ष्मणसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ।
3. डालु पिता नाथुजी जाति गाडरी मृतक के स्थान पर :-
   3/1 गुणेश पिता डालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लक्ष्मणीसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
   3/2 कैलाश पिता डालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लक्ष्मणीसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
   3/3 मांगीबाई पिता डालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लक्ष्मणीसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
   3/4 रुकमणी डालु जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी लक्ष्मणीसिंहजी का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
4. श्रीमती अणछी गिरी पत्नि कैलाश गिरी गोस्वामी आयु वयस्क निवासी नगरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ राज0।
5. श्री सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

प्रतिवादीगण

-:: <u>वादपत्र घोषणात्मक डिक्री, बंटवाडा, स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> ::-

<u>प्रकरण संख्या :-082/2019</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु श्री छोगालाल जाट अधिवक्ता वादी श्री दिनेश दायमा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से नामंजूर किया जाता है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **<u>12.07.2019</u>** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
चित्तौड़गढ

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		